ONE RUPEE INDIA Re.1 TWO RUPEES INDIA Rs.2 TWO RUPEES INDIA Rs.2 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० ।2011 पुनरीक्षण R-378-I/2011

1- श्रीमती अख्तरीबानो पत्नी स्व0 वलीमोहम्मद
2- अजीज मोहम्मद आत्मज स्व0 वलीमोहम्मद
3- वहीदमोहम्मद आत्मज स्व0 वलीमोहम्मद
4- शहीदमोहम्मद आत्मज स्व0 वलीमोहम्मद
5- शकीलमोहम्मद आत्मज स्व0 वलीमोहम्मद
6- शाहीनमोहम्मद आत्मज स्व0 वलीमोहम्मद
क्रमांक 1, 2, 4 व 5 निवासी भगतसिंह वार्ड गोटेगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंह पुर तथा क्रमांक 3 व 6 निवासी जबलपुर ------- आवेदकगण

श्री कृष्ण० के० वाजपेयी, अभि० द्वारा आज दि. 8-3-11 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-3-11
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

53 / 8-3-11

विरुद्ध

1- रफीकमोहम्मद आत्मज स्व0 गुलाममोहम्मद
2- खलीलमोहम्मद आत्मज स्व0 गुलाममोहम्मद
दोनों निवासी रामवार्ड करेली तहसील करेली जिला नरसिंहपुर ------ अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण न्यायालय तहसीलदार गोटेगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 11-अ।6।2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 17-2-2011 से असन्तुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है :-

पुनरीक्षण के तथ्य -

--- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-378-एक/11 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी तहसीलदार गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2011 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।	
	2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नं. 16 संशोधन क्रमांक 166 में आपत्ति होने के कारण तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2011 द्वारा हल्का पटवारी को दिनांक 11.09.93 के पूर्व की स्थिति में अभिलेख पूर्ववत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।	
	3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रकरण में आवेदकों का नामांतरण हेतु यह आधार है कि कसीमन बी द्वारा वली मोहम्मद को अपनी भूमि दे दी गई थी। अत: मात्र वली मोहम्मद का नामांतरण होना चाहिए था। आवेदकों की आपत्ति का निराकरण करने के लिए साक्ष्य ली जाना आवश्यक है। राजस्व मण्डल के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। अत: आवेदकों को साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था। प्रकरण सीधे अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाना अवैध प्रक्रिया तथा राजस्व मण्डल के निर्देश के विपरीत है। कसीमन बी के अन्य उत्तराधिकारी कौन हैं इस बिन्दु पर पटवारी से सजरा प्राप्त करना चाहिए था। तहसील न्यायालय ने जो आदेश दिया है उससे आवेदकगण न्यायपाने से वंचित हो जायेंगे।	
	4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रकरण में पुनरीक्षकणगर्तागण	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्त।

द्वारा हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन दिया था जो प्रकरण में पूर्व से वारिसान के अतिरिक्त हैं। मूल प्रकरण में पुनरीक्षणकर्तागण पक्षकार नहीं थे। प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के बाद तहसीलदार महोदय को ये आवेदन दिया गया है जिससे प्रकरण में उनका हित सृजित क्रियेट हो जाए इसलिए उक्त पद अस्वीकार है। पुनरीक्षणगर्तागण को अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष सुनवाई का व जवाब फाईल करने का समुचित अवसर दिया गया था। तत्पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के अनुकूल होकर न्यायोचित है।

5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार दिनांक 11.09.93 की स्थिति बहाल करते हुए अभिलेख पूर्व की स्थिति में दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण अभी विचारण न्यायालय के समक्ष गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामत: यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य